जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 38/2015 अनवानी 1– नथूराम 2–दयाराम पि0 रामनारायण जाति जाट निवासी 9 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ बनाम 1–काशीराम पुत्र आुदराम जाति जाट निवासी 8 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ 2–सहदेव 3–रामकुमार 4–रामेश्वरलाल 5–प्रकाशचंद 6–रामचंद्र 7–ओमप्रकाश 8–रामस्वरूप 9–सरपंच सरदारपुरा खर्था 10–तहसीलदार सूरतगढ 11–हरीराम 12–एसडीओ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.05.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित है। अप्रार्थी काशीराम के अभिभाषक श्री गुरविन्द्र सिंह उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी काशीराम के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ में लंबित प्रकरण संख्या 216/2014 अनवानी काशीराम बनाम सहदेव आदि धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ में लंबित प्रकरण संख्या 216/2014 अनवानी काशीराम बनाम सहदेव आदि धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर